प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 09.07.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 06 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 2,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 06 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 01.04.2017 को वादी शाहरुख खान पुत्र साबिर अली निवासी आरटीओ कांशीराम कॉलोनी की तहरीर के आधार पर कार सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तमन्चा दिखाकर सोने के आभूषण व नकदी लूट लेने के संबंध मे थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 184/17 धारा 394 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी व0उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार का0 मुकेश कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री कौशलेन्द्र सिंह तोमर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 09.07.2024 को अन्तर्गत धारा 394 भादवि में मा0 न्यायालय स्पे0 जज डकैती -7/एनडीपीएस इटावा इटावा द्वारा 06 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **सूनील कुमार उर्फ रामकुमार पुत्र अजयपाल निवासी सरसई हवेली थाना करहल जनपद मैनपुरी।**